राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 153/2019

सरोज कुमारी –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 16.05.2019
आदेश की दिनांक : 21.11.2023

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ तथा प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री यशवंत मेहता उपस्थित। प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.06.2018 (अनुलग्नक–1) जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/ सेट–अप परिवर्तन के अन्तर्गत किया गया, को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अवगत कराया गया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश के पश्चात महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, फरीदसर (श्रीगंगानगर) में हो चुका है, जहां अपीलार्थी दिनांक 21.01.2022 से कार्यरत है। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपीलार्थी के पदस्थापन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जिससे स्पष्ट हो कि आलोच्य आदेश वर्तमान में प्रभावी नहीं रहा है। अतः इस आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य